


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 209 / 2009.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- एसीटीओ, उड़नदस्ता, अलवर बनाम इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि., अलवर (डिपो) जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की त में जारी
16.04.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी विभाग द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी विभाग ने निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु विभाग प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी विभाग के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 209/2009/जयपुर को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p>	